कार्यालय छावनी परिषद बबीना
अति अल्पकालीन (प्रीमियम) नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बबीना छावनी में सेना द्वारा आयोजित भर्ती रैली के दृष्टिगत छावनी परिषद बबीना के बुध बाजार में स्थित 30 दुकानों में से नीचे दिये विवरण के अनुसार वर्तमान में खाली कुल 20 दुकानों को सामान्य व्यवसाय के लिये (माँसाहारी व्यवसाय, मादक पदार्थ, कीटनाशक दवायें, अस्त्र–शस्त्र एवं ज्वलनशील पदार्थ जैसे– पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्प्रिट, गैस, पटाखा, बारुद इत्यादि की बिक्री से संबंधित व्यवसाय को छोड़कर) अस्थाई तौर पर दिनांक 08/04/2018 से 22/04/2018 तक कुल 15 दिनों के लिये लाईसेन्स पर देने के लिये खुली नीलामी **दिनाँक 07/04/2018** को समय **प्रातः 11:00 बजे से** कार्यालय छावनी परिषद, बबीना में की जानी है, जिसके लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म के प्रोपराईटर/दुकानदारों को आमंत्रित किया जाता है।

(1)	खाली दुकानों का विवरण	–	कुल 20 दुकान क्रम सं0 07 से 25 तक एवं क्रम सं0 28
(2)	अवधि	–	15 दिन दिनांक 08/04/2018 से 22/04/2018 तक
(3)	लाईसेन्स फीस की न्यूनतम दरें	–	रु0 2,500/–(रुपये दो हजार पांच सौ मात्र)
(4)	अग्रिम धनराशि/जमानत धनराशि का विवरण	–	रु0 5,000/– (रु0 पांच हजार मात्र) (वापिसी योग्य)

नीलामी हेतु आवश्यक दस्तावेजों का विवरण :–

1. आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
2. पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो फोटोग्राफ।
3. स्थानीय सरकारी अस्पताल अथवा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. फोटोशुदा नोटरी शपथपत्र, जिसका प्रारुप इस कार्यालय से एवं इस कार्यालय की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है
5. रु0 5000/– (रु0 पांच हजार मात्र) अग्रिम धनराशि/जमानत धनराशि (वापिसी योग्य) जो नीलामी में शामिल होने से पूर्व कार्यालय में नगद जमा करना होगा।

नीलामी हेतु अन्य नियम एवं शर्तें :–

1. उपरोक्त दुकानों की नीलामी सेना द्वारा आयोजित भर्ती को ध्यान में रखते हुये अस्थाई तौर पर केवल 15 दिनों के लिये की जायेगी। जो केवल दिनांक 08/04/2018 से 22/04/2018 तक के लिये वैध होगी।
2. नीलामी में शामिल किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान लाईसेंस पर नहीं दी जायेगी।
3. दुकानों की नीलामी 15 दिन की विशिष्ट अवधि के लिये लाईसेस फीस के लिये प्राप्त अधिकतम बोली के आधार पर की जायेगी।
4. उक्त अवधि के लिये न्यूनतम किराया रु0 2500/– (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) निधार्रित किया गया है जिसके ऊपर कम से कम रु0 100/– बढाकर बोली लगाई जायेगी।
5. बोलीदाता द्वारा नीलामी के दौरान किसी भी दुकान के लिये लगाई गयी अधिकतम बोली की पूर्ण रकम दिनांक 08/04/2018 अथवा इससे पूर्व कार्यालय छावनी परिषद बबीना में नगद जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में दुकान हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
6. दिनांक 22/04/2018 को सांयकाल 17:00 बजे उक्त दुकानें छावनी परिषद बबीना द्वारा खाली करा ली जायेगी जिसके पश्चात उक्त दुकानों पर कोई दावा/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. दुकान की सुरक्षा एवं साफ–सफाई इत्यादि की जिम्मेवारी संबंधित दुकानदार की होगी।
8. छावनी परिषद की सम्पत्ति/दुकान की क्षति अथवा टूट–फूट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति दुकानदार को करनी होगी ऐसा न करने ऐसी क्षति की पूर्ति दुकानदार द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि में से की जायेगी एवं अवशेष धनराशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9. समय समय पर मुख्य अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद बबीना द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करना होगा। अवहेलना की दशा में दुकान तुरंत खाली कराई जा सकती है तथा छावनी अधिनियम 2006 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।
10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, बबीना को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये एक या सभी आवेदनों को निरस्त कर दे।
11. नीलामी के संबंध में समस्त अधिकार छावनी परिषद बबीना के पास सुरक्षित है जिसके संबंध में अंतिम निर्णय छावनी परिषद, बबीना द्वारा लिया जायेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा एवं जिसके संबंध में कोई दावा अथवा क्लेम स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी सूचना कार्यालय की वेबसाईट www.cbbabina.org.in पर भी देखी जा सकती है।

पत्रांक : आर.आई./नीलामी/बुध बाजार/2018–19/20
कार्यालय छावनी परिषद बबीना
दिनांक 06 अप्रैल,2018

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, बबीना
(अभिषेक आजाद,आईडीईएस)

समक्ष : श्रीमान् मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, बबीना।

शपथपत्र मिनजानिव .... निवासी ....निम्नलिखित बहल्फ बयान करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि शपथकर्ता/कर्ती .... का/की निवासी है।

2. यह कि शपथकर्ता/कर्ती छावनी परिषद की बुध बाजार में स्थित एक दुकानों को लाईसेन्स पर लेने के लिये होने वाली नीलामी में शामिल होने का/की इच्छुक हूँ। यदि शपथकर्ता/कर्ती की किसी दुकान के लिये अधिकतम बोली पाई जाती है तो वह बाकी अन्य दुकानों की नीलामी में भाग नही लेगा और प्रार्थी स्वतः ही नीलामी प्रकिया से बाहर माना जायेगा।

3. यह कि शपथकर्ता/कर्ती उपरोक्त दुकानों के लाईसेन्स पर लेने के लिये समस्त नियम एवं शर्तों को भली—भाँति पढ व समझ लिया है तथा समस्त नियम एवं शर्तो का हमेशा पालन करेगा।

4. यह कि शपथकर्ता/कर्ती को यह भली—भाँति ज्ञात है कि उक्त दुकानों की नीलामी केवल 15 दिनों (दिनांक 08/04/2018 से 22/04/2018 तक) के लिये की जा रही है।

5. यह कि शपथकर्ता/कर्ती ने दुकानों की स्थिति व साईज को मौके पर जाकर देख लिया है एवं शपथकर्ता/कर्ती के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नही है।

6. यह कि मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये जाने वाले समस्त आदेशों का शपथकर्ता/कर्ती द्वारा हमेशा पालन किया जायेगा।

7. यदि शपथकर्ता/कर्ती द्वारा किसी भी स्तर पर किसी भी नियम अथवा शर्त एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद बबीना को यह अधिकार होगा कि मुझे नीलामी में शामिल होने से वंचित कर दिया जाये अथवा लाईसेन्स स्वीकृत हो जाने के उपरांत लाईसेन्स निरस्त करने का एवं मेरे द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर लिये जाये।

8. यह कि शपथकर्ता/कर्ती दिनांक 22/04/2018 को सायंकाल 17:00 बजे तक नालामी में लाईसेन्स पर प्राप्त दुकान को स्वयं खाली कर देगा एवं छावनी परिषद, बबीना के सुपुर्द कर देगा।

9. यह कि शपथकर्ता/कर्ती द्वारा कभी भी छावनी परिषद की दुकानों पर अपना अधिकार अथवा दावा नहीं करेगा।